

दस्तावेज़

निजीकरण के बढ़ते कदम



भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निजीकरण की प्रक्रिया आसान बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि, बजट में प्रावधान किया गया है कि रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति होगी। संकेत स्पष्ट है कि भविष्य में केंद्र सरकार के उद्यम मात्र चार रणनीतिक क्षेत्रों में संचालित होंगे। बाकी सभी गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि निजीकरण भी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति का जरिया बन सकता है।

सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की रणनीतिक बिक्री का प्रस्ताव निजीकरण की दिशा में बढ़ाया गया साहसिक कदम है। निजीकरण का यह मौजूदा रुद्धान अकस्मात नहीं अपितु यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के दरम्यान संतुलन साधने की एक कोशिश है। आजादी के शुरुआती दशकों में, सरकार की क्षमता व प्रयासों पर भरोसा था। इसी भरोसे ने सार्वजनिक उद्यमों की तादाद भी बढ़ाई साथ ही इसे अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन भी बनाया। परंतु समय के साथ सार्वजनिक उद्यमों के हैसले मंद पड़ गए। राजनैतिक दखलदाजी तथा बदहाल कार्य संस्कृति जैसे वजहों से अनेक सार्वजनिक उद्यम अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गए। अर्थव्यवस्था की तंदरुस्ती कम बना सके, इसकी कमजोरी बन गए। नवउदारवाद के दौर में इसे दुरुस्त करने की जरूरत है।

बाजार की अपनी विफलताएं होती हैं, जिन्हें सार्वजनिक उद्यम जैसे साधनों के जरिए दुरुस्त किया जा सकता है। भारत में सार्वजनिक उद्यमों को सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित किया गया। सार्वजनिक उद्यम रोजगार सूजन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय वितरण में समानता, गरीबों को उचित दाम पर पर्याप्त मात्रा में जरूरी वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ विकास को रस्तार देने के जिम्मेवार बने। सार्वजनिक उद्यमों की अपनी उपलब्धियां अवश्य रहीं, परंतु असफलताएं भी कम नहीं थीं। सार्वजनिक उद्यम अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में न सिर्फ असमर्थ रहे, अपितु उन्हें भुला भी दिया। घटिया कार्य संस्कृति, लालकीताशाही, हड्डताल एवं तालाबन्दी, अकार्यकुशलता एवं निमन उत्पादकता, गैर प्रतिस्पद्धि उत्पाद जैसी बातें सीपीएसई के बढ़ते घाटे की वजह बने, जिसकी भरपाइ सक्करी खिजने से की गई।

त्रिमसंघों की सौदेबाजी से सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों की मजदूरी औसत वेतन से तो बेहतर परंतु उत्पादकता कम बनी रही। ऊंची श्रम लागतें अक्सर देश में छोटे उद्यमों को असहाय कर अर्थव्यवस्था में नये निवेश और रोजगार सृजन को रोक देते हैं। सार्वजनिक उद्यमों ने बहुसंख्या लोगों की कीमत पर कुछ के लिए सुरक्षित, अच्छे वेतन वाली नौकरियां बनाई। महंगाई तथा कर बोझ दोनों ने गरीब नागरिक के सामने मुश्किलात खड़ी की। अनेक मामलों में सीपीएसई की नाकामयाबी का सबक है, निजीकरण की रणनीति। इनकी खामियों से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच श्रम का एक नया विभाजन पैदा हुआ। सीपीएसई

की परिसंपत्तियों का निजीकरण इस अलगाव को दूर करने का तरीका है। परंतु निजीकरण करते समय कुछ बातों को अवश्य ध्यान रखना होगा। सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग एवं परिचालन दक्षता में सुधार हो, जो निजीकरण के स्वतः परिणाम नहीं हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि निजीकरण का तरीका क्या हो? विशेषतः, प्रतिस्पर्धा और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य सुधारों को लागू कर उचित वातावरण बनाना होगा। निजीकरण की प्रक्रिया सार्वजनिक, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और निष्पक्ष रहे। साथ ही निजीकरण के लिए आवश्यक परिवर्तन कर उद्यमों की दक्षता बढ़ाते हुए बेरोजगारी से अवश्य ही निपटना होगा। सीपीएसई के निजीकरण के प्रति सरकार के खैये में बड़े बदलाव का संकेत एवं प्रतिबद्धता दिखती है। आर्थिक विकास को रफ्तार देने में निजीकरण की भूमिका बढ़ाने का प्रयास बदलाव का स्पष्ट संकेत है।

माना है। रणनीतिक क्षेत्र में शेष सीपीएसई का निजीकरण या विलय या अन्य सीपीएसई की सहायक कम्पनी बना दी जाएगी या बंद कर दिया जाएगा। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के सारे सीपीएसई का निजीकरण किया जाएगा, अन्यथा बंद कर दिया जाएगा। बीमा और घाटे पर चल रहे उद्यमों को समय पर बंद कर दिया जाएगा। बजट में पैने दो लाख करोड़ रुपये का चुनौतीपूर्ण विनिवेश लक्ष्य भी रखा है। नये आर्थिक सुधारों के बाद से ही कुछ ही वर्षों में विनिवेश का लक्ष्य हासिल हो सका है। परंतु फिर भी, बजट में प्रस्तावित बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन आँफ इंडिया, बीईमएल, आईडीबीआई बैंक, पवन हंस, कंटेनर कॉर्पोरेशन, सहित अन्य उपक्रमों का विनिवेश जगजोषीय घाटे को संभालने में मददगार होगा। दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण किया जाएगा। रियल एस्टेट की तरह, सीपीएसई में परिसंपत्ति मूल्य को अनलॉक करने के लिए विशेष व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है।

सरकार की रणनीति है कि निजी क्षेत्र की दक्षता का बेहतर लाभ अर्थव्यवस्था को मिल सके, विकासात्मक उद्देश्यों के लिए संसाधन उपलब्ध हो और आमतौर पर मामूली प्रतिफल अर्जित करने वाली मूल्यवान संपत्ति को फिर से तैयार किया जा सके। परंतु इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक जमात को निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों में निजी हिस्सेदारी पर आम सहमति बने। सरकार को सीपीएसई ट्रेड यूनियनों तक पहुंचना चाहिए और संवाद करना चाहिए कि निजी क्षेत्र में अधिक निवेश अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए जरूरी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निजीकरण की प्रक्रिया आसान बिल्कुल भी नहीं है। यहां तो मर्ज को खत्म करने की जगह मरीज को खत्म करने जैसा फलसफा है। परंतु यह भी समझना जरूरी है कि निजीकरण भी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति का जरिया बन सकता है। भारत में ही मारुति और हिंदुस्तान जिक जैसे सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण के नतीजों के शानदार उदाहरण भी हैं। नवउदारवाद के दौर में निजी क्षेत्र की काबिलियत को समझने की न केवल दरकार है अपितु ऐसा वातावरण भी बनाना होगा जिसमें कि वह भारत के अर्थिक महाशक्ति बनने में अपनी भूमिका का भी निर्वहन कर सके।

» विचार

कोर्ट की वाद्सएप को दो टूक

वाट्सएप की गोपनीयता नियमों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने कंपनी को दो टूक सुनाते हुए कहा है कि वह भले ही खरबों की मालिक हो, मगर लोगों की निजता का सौदा नहीं किया जा सकता। कोर्ट के रुख से साफ है भारत में उसकी नहीं चलने वाली।




संदेश सेवा प्रदाता कंपनी वाट्स एप ने जैसे ही गोपनीयता नियमों में बदलाव की घोषणा की, स्वाभाविक ही उसे लेकर विरोध के खर फूट पड़े। जैसे-तैसे कंपनी ने घोषणा की कि वह अपने नियम लागू करने की अवधि को आगे बढ़ा रही है। मामले में सरकार ने भी दखल दिया। लेकिन अब पूरा विवाद सुश्रीम कोर्ट की चौखट पर है। कोर्ट भी इस मामले में गंभीर दिख रही है। मामले की सुनवाई के दौरान सुश्रीम कोर्ट ने वॉट्सएप से कहा कि आपकी नई प्राइवेसी के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफी आशंकाएँ हैं। चीफ जरिटिस एसए बोबडे ने कहा कि आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होंगे, लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है। चीफ जरिटिस ने इस प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वॉट्सएप, फेसबुक और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की उस दलील का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई कानून नहीं है।

का लकर काइ कानून नहा ह।
चीफ जरिस्टस बोबडे की बेंच ने एक सुर में कहा कि ऐसा कानून प्रभाव में लाना चाहिए। बता दें कि वॉट्सेप नई प्राइवेसी के तहत भारतीयों का डेटा शेयर करेगा। इस डेटा शेयरिंग को लेकर भारतीयों में कई आशंकाएँ हैं। वॉट्सेप यूजर जो भी कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या फिर रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। यह पॉलिसी आठ फरवरी 2021 से लागू होनी थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को एप्पी नहीं करता है तो वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि, बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था। हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बारे में फेक न्यूज, आपत्तिजनक और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट को लेकर नारजी जताई थी।

जार इसा भुक्तान पास करने का लकर नालिजा जालाइ था। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था, हम सोशल मीडिया का सम्मान करते हैं। इसने आम लोगों को ताकत दी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में भी सोशल मीडिया की भूमिका काफी अहम है, लेकिन अगर इससे फेक न्यूज और हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो हम कार्रवाई करेंगे। फिर वो ट्रिवटर हो या कोई प्लेटफार्म। हाल के वर्षों में जिस तरह इस गोपनीयता का कुछ शरारती तत्वों ने बेजा इस्तेमाल किया है, अफवाहें फैलाने, गलत सूचनाएं प्रसारित करने और भीड़ को भड़काने, किसी का चरित्र हनन या उसका अपमान करने वाले संदेश परोसने आदि में वे कामयाब होते रहे हैं, उसे देखते हुए इस माध्यम को अनुशासित करने की मांग भी खबू उठती रही है। इस लिहाज से देखें, तो वाटस-एप की नई शर्तें कुछ हद तक मनमानियों पर लगाम लगाने में कारगर साबित हो सकती हैं। मगर अभी भारतीयों की जो शका है, उसका निराकरण होना जरूरी है।

आनंददायी शिक्षा हेतु बजट



कोरोना महामारी ने एक तरफ कुछ कमियां प्रकट की हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर इस महामारी ने स्कूली शिक्षा क्षेत्र की कुछ नया करने की अंतर्निहित क्षमता और प्रवृत्ति को भी प्रकट किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा हेतु आवंटन का फोकस स्कूलों के गुणात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए सभी शिक्षकों के गहन क्षमता निर्माण पर है।

बहुभाषी जरूरतों व बच्चों की विभिन्न अकादमिक क्षमताओं का ख्याल रखता हो- में अच्छे बुनियादी ढांचे, बेहद अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों और रचनात्मक शिक्षण विधियों से लैस किया जाएग। इनके अलावा सभी सरकारी स्कूलों को आधारभूत अवसंरचना, सुविधाएं एवं पहुंच, गुणवत्ता तथा निष्पक्षता बढ़ाने के लिए संसाधनों हेतु बजट आवर्तित कर विकसित किया जाना जारी रहेगा। शिक्षक सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वह एक रीढ़ और ऐसा बल हैं जो एक गुणात्मक स्कूली शिक्षा प्रणाली को बनाए रखता है।

इन उत्कृष्ट स्कूलों के नजरिये को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को सीखने, फिर से सीखने के साथ नए तरीके से सीखने एवं निश्चित मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करने की बड़ी आवश्यकता होगी। ब्लैकबोर्ड पर चौंक से लिखने और बोलने के तौर तरीकों पर अत्यधिक निर्भरता से आगे बढ़कर शिक्षकों को रचनात्मक शिक्षण के बारे में जानने की जरूरत होगी जैसे कि कला/खेलकूद/कहानी कहने की कला/संचार पौदोपीची/प्रतिक्रिया/

जीवन कौशल/मूल्य एकीकृत अधिगम, शुरुआत वर्षों में मातृभाषा को संतु-भाषा के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए और स्टेज एप्रोप्रियेट लर्निंग आउटकम/कस्टॉटी संदर्भित मूल्यांकन आदि। वाक के दौरान देश भर के सभी शिक्षक सार्वजनिक डोमेन में निष्ठा (नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स फॉर हॉलिस्टिक एडवांसमेंट) प्रशिक्षण मॉड्यूल का सहारा ले सकते हैं जो शुरुआती वर्षों से बारहवीं तक पढ़ने के लिए इस सभी और कई अन्य प्रासारिक क्षेत्रों को समर्थन होगे। शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले व्यावसायिक गुण, ज्ञान एवं कौशल हर एक क्लासरूम में उनकी गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टॅंडर्ड्स फॉर टीचर्स के माध्यम से एक बेचमार्क के रूप में निर्धारित किए जाएंगे। यह बदलाव रातों रात कठई नहीं हो सकते। समर्चन परिवर्तनकरी प्रक्रिया में शिक्षकों एवं शिक्षाविशास्त्रकों के लिए व्यवस्थित परामर्श के माध्यम से हस्तक्षेप की योजना बनाई गई है। इन सब के केंद्र में हमेशा नए तेज़ी साझेदारी से तेज़ी से 12 वर्षों में

८



सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वह लोगों की निजता को ताक पर रखकर कोई काम न करेगी और न ही किसी को करने देगी। लिहाजा, लोग परेशान न हों।

रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री
के लिए भारत के
ल रही है और आब
नमानी कर रहा है
ल कसने की कोई
कोई विचार

मनीष तिवारी कांगोस नेता

सत्यार्थ



कहीं ज
गंगा नव

योगी की ईष्टा

चल सकता हूँ। उसकी यह गर्वोक्ति सुनकर परमहंस अत्यंत ही विनम्र भाव से बोल-मेरे भाई, तुमने अठारह साल बेकार कर दिए। मुझे तो गंगा के उस पार जाना होता है, तो मांझी को आवाज देता हूँ। वह नाव से मात्र दो पैसे में नदी पार करा देता है। जरा सोचो कि अठारह साल में यदि तुमने नदी के पानी पर चलकर उसे पार करने की कथित सिद्धि प्राप्त की है, तो वह कमाई क्या दो पैसे से अधिक की है? यह सुनकर योगी निरुत्तर हो गया। मतलब यही कि भले ही हम साधना के द्वारा शक्ति प्राप्त कर लें, पर उस पर गर्व न करें। संतों का काम तो शक्ति के द्वारा लोगों का भला करना होता है।

